



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 5330/2008

याचिकाकर्तागण: मेसर्स शिवम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: श्री संतोष कुमार अग्रवाल

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 18.11.2008 को सूचीबद्ध करें।



सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 5330/2008

याचिकाकर्तागण:

1. मेसर्स शिवम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
2. कैलाश गुप्ता, आयु 63 वर्ष, पिता स्व. श्री जय नारायण गुप्ता, निदेशक- मेसर्स शिवम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, निवासी-"आराधना" पंचपेड़ी, सिविल लाइन्स, जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. श्री संतोष कुमार अग्रवाल, आयु 39 वर्ष, पिता श्री गौरीशंकर अग्रवाल, प्रोप्राइटर अनमोल मोटर्स, नए बस स्टैंड के पास, कोरबा, निवासी अग्रसेन रोड, वासन गली, कोरबा, तहसील एवं जिला कोरबा (छ.ग.)
2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, कोरबा, तहसील एवं जिला कोरबा (छ.ग.)

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका)

एकल न्यायपीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थिति:

याचिकाकर्तागण की ओर से श्री संजय एस. अग्रवाल, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से श्री प्रमोद वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री सुमित वर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2/राज्य की ओर से श्री विवेक शर्मा, पैनल अधिवक्ता।



-- निर्णय --

(दिनांक 18.11.2008 को पारित किया गया)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन प्रस्तुत इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्तागण ने आक्षेपित आदेश दिनांक 29-8-2008 (संलग्नक पी/12) की विधिकता एवं विधिमान्यता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा जिला न्यायाधीश, कोरबा ने, वादी द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, "व्यवहार प्रक्रिया संहिता") के आदेश 39 नियम 7 सहपठित आदेश 26 नियम 9 के अंतर्गत प्रस्तुत एक आवेदन में, वाद पत्र की अनुसूची में वर्णित भूमि के आधिपत्य को सत्यापित करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने का आदेश दिया था।

2. याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत संक्षेप में तथ्य यह हैं कि उत्तरवादी/वादी ने अगस्त, 2007 में जिला न्यायाधीश, कोरबा के न्यायालय में विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु एक वाद प्रस्तुत किया। याचिकाकर्तागण/उत्तरवादीगण द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत किया गया और सितंबर, 2007 में प्रति-दावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात, वादी/उत्तरवादी क्रमांक 1 ने रिट याचिका की अनुसूची में वर्णित भूमि के आधिपत्य के संबंध में स्थल निरीक्षण के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 7 सहपठित आदेश 26 नियम 9 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया। जिला



न्यायाधीश, कोरबा ने आक्षेपित आदेश दिनांक 29-8-2008 द्वारा रिट याचिका की अनुसूची में वर्णित भूमि पर आधिपत्य की वर्तमान स्थिति के संबंध में स्थल निरीक्षण हेतु आयुक्त नियुक्त कर आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। अतएव, यह याचिका याचिकाकर्तागण/अनावेदकगण द्वारा इस आधार पर दायर की गई है कि जिला न्यायाधीश द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39, नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में पारित आदेश दिनांक 5-4-2008 (संलग्नक पी/8), जहाँ संपत्ति के आधिपत्य के संबंध में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दिया गया है, प्राङ्गण्य के रूप में प्रभावी है। अतः, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 7 सहपठित आदेश 26 नियम 9 के अंतर्गत प्रस्तुत पश्चातवर्ती आवेदन में कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था।

3. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय एस. अग्रवाल ने तर्क दिया है कि संपत्ति का आधिपत्य निर्धारित करने के लिए आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जा सकती और न्यायालय को उचित साक्ष्य एवं दस्तावेजों द्वारा आधिपत्य का विनिश्चय करना चाहिए था।
4. वादी/प्रथम उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.के. वर्मा ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है।



5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है, अभिवचनों एवं उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया है।
6. आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में विधि स्पष्ट है। आयुक्त की नियुक्ति केवल विवादित मामले को स्पष्ट करने, या किसी संपत्ति के बाजार-मूल्य या अंतःकालीन लाभ या नुकसानी या वार्षिक शुद्ध लाभ की राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से की जा सकती है, न कि आयुक्त के प्रतिवेदन के आधार पर निष्कर्ष अभिलिखित करने के उद्देश्य से।
7. **प्रागा टूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड विरुद्ध महबूबुन्निसा बेगम (श्रीमती) एवं**

अन्य¹ के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया है:

"12.....विचारण न्यायालय ने सर्वेक्षण करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया होगा परंतु अंततः निष्कर्ष विचारण न्यायालय द्वारा ही अभिलिखित किए जाने थे। आयुक्त का प्रतिवेदन विचारण न्यायालय के लिए केवल अपने निष्कर्षों तक पहुँचने में एक सहायता हो सकती है। विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को मौखिक और साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। विचारण न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया है"।

8. मेरा यह सुविचारित अभिमत है कि लंबित वाद के न्यायनिर्णयन में सामान्यतः किसी एक पक्षकार के मामले को बेहतर बनाने के लिए आयुक्त नियुक्त नहीं किया जाता है। अन्यथा भी, आयुक्त की नियुक्ति उन प्रकरणों में

1 (2001) 6 एस.सी.सी. 238



की जानी चाहिए जहाँ पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर तथ्यों को सुनिश्चित करना संभव न हो। इस प्रकार, आयुक्त की नियुक्ति का आदेश केवल स्थल निरीक्षण के उद्देश्य से हो सकता है, न कि निष्कर्ष को निर्णयात्मक रूप से अभिलिखित करने के उद्देश्य से। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उचित साक्ष्य और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही इस पर विचार किया जाना चाहिए।

9. पूर्वोक्त के परिप्रेक्ष्य में, आक्षेपित आदेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। तदनुसार, याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।



सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।